

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 08.09.2026 को अपरान्ह 12:00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यों से सम्बन्धित समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 95/छियत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी0सी0-अ दिनांक 21.01.2020 एवं शासनादेश संख्या- 190/छियत्तर-1-2020 -20-25सम/2019 दिनांक 24.01.2019 के क्रम में "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद अमेठी में निर्माणाधीन ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कार्यों की समीक्षा से सम्बन्धित बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 08.09.2026 को अपरान्ह 12:00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों/फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. श्री संजय चौहान, जिलाधिकारी महोदय, अमेठी।
2. सुश्री पूजा साहू, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अमेठी।
3. श्री डी0पी0 गौतम, सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अमेठी।
4. श्री विपिनचन्द, सहायक अभियन्ता, (एस0डब्ल्यू0एस0एम0)उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अमेठी।
5. श्री अर्चित त्रिपाठी, सहायक अभियन्ता, (एस0डब्ल्यू0एस0एम0)उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अमेठी।
6. श्री राजेश कुमार गुप्ता, जूनियर इंजीनियर, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अमेठी।
7. श्री अनुराग पाण्डेय, क्य0ए0/क्यू0सी0 इंजीनियर, टी0पी0आई0 अमेठी।
8. श्री अवधेश बहादुर सिंह, डी0सी0, डी0पी0एम0यू0 अमेठी।
9. श्री अजीत सिंह, पी0एम0 मे0 वेलस्पन प्रा0लि0, मुम्बई।
10. श्री सिद्धार्थ तिवारी, पी0एम0, मे0 गायत्री प्रोजेक्ट प्रा0लि0/हेत्वी कान्स्ट्रक्शन, प्रा0लि0
11. श्री सतीश सोरवां, पी0एम0 मेसर्स विन्ध्या टेलीलिंक्स-गाजा प्रा0लि0/हेत्वी कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0

श्री डी0पी0 गौतम, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) अमेठी द्वारा अवगत कराया गया कि गत बैठक में जल जीवन मिशन कार्यक्रम में मेसर्स वेलस्पन प्रा0लि0 मुम्बई ने शिरोपरि जलाशयों को दिनांक 10.08.2026 से दिनांक 07.09.2026 तक मात्र 01 नग शिरोपरि जलाशय, मेसर्स गायत्री-रैम्की प्रा0लि0 हैदराबाद द्वारा दिनांक 10.08.2026 से दिनांक 07.09.2026 तक मात्र 05 नग शिरोपरि जलाशय एवं मेसर्स विन्ध्या-गाजा प्रा0लि0 नोएडा द्वारा दिनांक 10.08.2026 से दिनांक 07.09.2026 तक मात्र 05 नग शिरोपरि जलाशय पूर्ण किया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा तीनों कार्यदायीं फर्मों को आगामी मासिक बैठक से पूर्व शिरोपरि जलाशय को निम्नानुसार पूर्ण करने लक्ष्य प्रदान किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1-निर्माणाधीन योजनाओं में शिरोपरि जलाशय को पूर्ण करने का लक्ष्य

क्रं0सं0	फर्म का नाम	प्रस्तावित शिरोपरि जलाशय की संख्या	शिरोपरि जलाशय में कार्य प्रारम्भ की संख्या	पूर्ण शिरोपरि जलाशय की संख्या	शिरोपरि जलाशय को पूर्ण करने का लक्ष्य
1	मेसर्स वेलस्पन	133	133	86	10
2	मेसर्स गायत्री	165	165	157	2
3	मेसर्स विन्ध्या-गाजा	194	194	182	3
कुल योग		492	492	425	15

2-वितरण प्रणाली बिछाये जाने की स्थिति:-

क्र०सं०	फर्म का नाम	कुल बिछायी जाने वाली पाइपलाइन (किमी०)	कुल बिछायी गयी पाइपलाइन (किमी०)	अवशेष वितरण प्रणाली (किमी०)
1	मेसर्स वेलस्पन	1833.00	1832.00	1.00
2	मेसर्स गायत्री	3685.00	3685.00	—
3	मेसर्स विन्ध्या-गाजा	3381.00	3381.00	—
कुल योग		8899.00	8898.00	1.00

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि जो योजनायें अनुरक्षणाधीन (O&M) हैं, उनके अन्तर्गत रेस्टोरेशन सम्बन्धी समस्त कार्य पूर्ण कर लिये जाये तथा शेष योजनाओं को वितरण प्रणाली बिछाने के पश्चात मोटरेबल कर लिया जाय। जिससे आम-जनमानस को आवागमन में समस्या न हो।

- जिलाधिकारी महोदय द्वारा माह सितम्बर-2026 में मेसर्स गायत्री को 35 नग योजनाओं, मेसर्स विन्ध्या-गाजा को 35 नग योजनाओं तथा मेसर्स वेलस्पन को 20 नग योजनाओं का जल अर्पण कराने का लक्ष्य दिया गया।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि माह-अगस्त-2026 में मेसर्स विन्ध्या-गाजा, मेसर्स गायत्री/हेत्वी एवं मेसर्स वेलस्पन द्वारा पूर्ण कराये गये शिरोपरि जलाशय की जांच जिला स्तरीय अधिकारियों से करा ली जाय।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि टी०पी०आई० द्वारा एक योजना पर कितनी बार निरीक्षण करना है इसकी जानकारी आर०एफ०पी० से लेते हुये निरीक्षण कराना सुनिश्चित करेंगे तथा किये जाने वाले निरीक्षणों की संख्या को मुख्य विकास अधिकारी महोदय को अवगत करायेगें।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि मेसर्स यूनिवर्सल द्वारा किसी भी टैंक को निष्प्रयोज्य घोषित करने से पूर्व उसकी Justification Report तैयार करने के उपरान्त ही डिमोलिशन की कार्यवाही की जाय।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि बिछायी गयी वितरण प्रणाली की गहराई की जांच टी०पी०आई० एवं खण्ड कार्यालय के जूनियर इंजीनियर/सहायक अभियन्ता के माध्यम से करा ली जाय। जिससे पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने की समस्या से बचा जा सकें।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं पर शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। उन योजनाओं पर आगामी बैठक से पूर्व शिरोपरि जलाशय के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुचारु रूप से चालू कर दी जाय।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं में डारेक्ट सप्लाई की जा रही है उन्हें अपग्रेड कर शिरोपरि जलाशय के माध्यम से पेयजल आपूर्ति कराना सुनिश्चित किया जाय।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जल निगम द्वारा अनुरक्षणाधीन 27 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योजनायें जिन्हें वर्तमान में मेसर्स यूनिवर्सल द्वारा संचालन एवं अनुरक्षण किया जा रहा है। आंशिक रूप से संचालित 19 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं में से कुछ योजनाओं को पूर्ण क्षमता पर संचालित करने का लक्ष्य दिया गया।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जो योजनायें संचालन एवं अनुरक्षण अथवा ट्रायल एण्ड रन में हैं उनमें नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाय।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन-जिन ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत रोड चौड़ीकरण एवं अन्य कार्य के कारण पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो रही है, तो उसका प्राक्कलन सम्बन्धित खण्ड कार्यालय को तत्काल प्रेषित कर दिया जाय एवं सम्बन्धित से समन्वय स्थापित कर कार्य को कराया जाय जिससे योजना के अन्तर्गत कम से कम पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो सके।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित समस्त फर्म आई०जी०आर०एस० का गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण कराये।

- जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जिस फर्म के कार्यों की प्रगति धीमी है उनमें तेजी लाना सुनिश्चित करें।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रत्येक योजनाओं में डी0एफ0डी0 पैनल व डॉजिंग प्लाट के स्टेटस की जांच कर ली जाय तथा समस्त योजनाओं पर अधिष्ठापन सुनिश्चित किया जाय।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त योजनाओं पर क्लोरिनेशन के पश्चात् ही जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें एवं जिन योजनाओं पर क्लोरिनेशन प्लान्ट स्थापित नहीं है वहां अतिशीघ्र क्लोरिनेशन प्लान्ट स्थापित कराना सुनिश्चित करें।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त फर्मों को निर्देशित किया गया कि योजनाओं में हो रहे पाइपलाइन/गृह संयोजनों में लीकेजों की मरम्मत समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण कराते हुये पेयजल आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि कार्यों की गुणवत्ता के साथ-साथ नियमित स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने एवं सामग्री की टेस्टिंग एवं फील्ड स्तर पर निरीक्षण करते हुये समुचित कार्यवाही की जाय।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद में समस्त आँगनवाड़ी एवं प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं गौशाला में शत प्रतिशत क्रियाशील जल संयोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रत्येक ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर सुरक्षा किट (हेल्मेट, बेल्ट, सेफ्टीनेट इत्यादि) उपलब्ध कराना एवं श्रमिकों द्वारा प्रयोग में लाया जाना सुनिश्चित करें।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के कार्य पूर्ण हो गये हैं उन्हें जूनियर इंजीनियर अपने से सम्बन्धित क्षेत्रों की पूर्ण योजनाओं को पूर्व में गठित जनपद स्तरीय जांच समिति द्वारा निरीक्षण कराकर, निरीक्षण आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

कार्यवाही अधि0अभि0 जल निगम/अधिशाली अभियन्ता जल निगम (विद्युत यांत्रिक)/मे0वेल्स्पन प्रा0लि0/मे0 गायत्री प्रोजेक्ट प्रा0लि0/मे0विन्ध्या टेलीलिंक्स/डी0पी0एम0यू0/टी0पी0आई0

अधिशाली अभियन्ता

कार्यालय अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण),अमेठी

सं0 1486 / 2014-7(1111) / 238 दिनांक 21/9/2026

लिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता(ल0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या(कैम्प-बाराबंकी)।
3. जिलाधिकारी महोदय, अमेठी को सादर अवलोनार्थ।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अमेठी।
5. अधिशाली अभियन्ता(वि0/यां0), खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या।
6. समस्त सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें एवं कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण करायें।
7. श्री अवधेश बहादुर सिंह, डी0सी0, डी0पी0एम0यू0 अमेठी।
8. श्री देवेन्द्र सिंह, डी0पी0एम0, टी0पी0आई0 अमेठी।
9. डी0टी0एल0, टी0पी0आई0, अमेठी।
10. सम्बन्धित फर्म को इस निर्देश के साथ कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

अधिशाली अभियन्ता